<u>प्रपत्र–4</u>

परियोजना का नाम :–जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम गल्जवाडी में गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग(मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज में आरिक्षत वन भूमि 0.158 है0 तथा देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज में आरिक्षत वन भूमि 0.522 है0 एवं सिविल /राजस्व भूमि 0.087 है0) कुल 0.767 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

<u>संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04.05.2019 को प्रश्नगत् परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, मालसी रेंज, श्री हरीश चन्द्र भट्ट, अनुभाग अधिकारी, घंघोडा, श्री श्याम सिंह नेगी, बीट अधिकारी गल्जवाडी, श्री मोहित मोहन सौन्द, बीट अधिकारी अंगलिया, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री कुलदीप गैरोला, उप निरीक्षक, राजस्व विभाग, विकासनगर, देहरादून तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता एवं श्री नरेन्द्र सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.522 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.087 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 एवं नाप भूमि 0.012 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम् है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत् कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से गल्जवाडी, इन्दरनगर, खाबडवाला, गद्दूवाला, ब्रहमपुरी, पंजाबीवाला, झाडीवाला, पंडितवाडी एवं संतलादेवी बस्तियों की 4159 जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में पेयजल योजना के निर्माण में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होना निहित नहीं है। अंगोलिया वन चौकी, गल्जवाड़ी से आजीवन नि:शुल्क संयोजन एवं जलापूर्ति की सहमति दी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उ0पे0नि0 देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग ~~मसूरी~~ देहरादून

सहा0अभि0/अप0सहा0अभि0
निर्माण शाखा,
उ0पे0नि0 देहरादून।

वन क्षेत्राधिकारी
मालसी रेंज ।

अनुभाग अधिकारी
घंघोडा।

बीट अधिकारी
गल्जवाडी ।

बीट अधिकारी
अंगलिया ।

04/05/2019

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम गल्जवाडी में गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग(मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज में आरक्षित वन भूमि 0.158 है0 तथा देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज में आरक्षित वन भूमि 0.522 है0 एवं सिविल /राजस्व भूमि 0.087 है0) कुल 0.767 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 09.05.2019 को प्रश्नगत् परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज, श्री नागेन्द्र कुमार सिंह रावत, उपवन क्षेत्राधिकारी, श्री दिवान सिंह नेगी, बीट अधिकारी रिखोली, मसूरी रेंज एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री कुलदीप गैरोला, उप निरीक्षक, राजस्व विभाग, विकासनगर, देहरादून तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता एवं श्री नरेन्द्र सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.158है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 एवं नाप भूमि 0.024 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम् है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत् कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से गल्जवाडी, इन्दरनगर, खाबडवाला, गद्दूवाला, ब्रहमपुरी, पंजाबीवाला, झाडीवाला, पंडितवाडी एवं संतलादेवी बस्तियों की 4159 जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में पेयजल योजना के निर्माण में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होना निहित नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उ0पे0नि0 देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग मसूरी
मसूरी।

सहा0अभि0/अप0सहा0अभि0
निर्माण शाखा,
उ0पे0नि0 देहरादून।

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज।

उपवन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज।

बीट अधिकारी
रिखोली।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी